(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 18 / 2025
रजिस्ट्रेशन नं0:— 2025 / 27

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

राधेश्याम उम्र 50वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल यादव निवासी करनाहेडा थाना बारां सदर जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)
2— श्री धीरज सिंह हाड़ा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 03.07.2025

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल राधेश्याम पुत्र श्री धन्नालाल यादव निवासी करनाहेडा जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक कुल 02 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा—3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सार[illegible]ओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया। प्रकरण मे गैरसायल द्वारा मय अभि[illegible] गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो श[illegible] प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:27 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक कुल 02 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने

से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसालय के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कहा गया कि गैरसायल को दिया नोटिस सर्वथा निराधार विधि न्याय व प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत है। गैरसायल धारा 2 बी के अंतर्गत गुण्डा की परिभाषा में नहीं आता है, उसे सर्वथा गलत नोटिस दिया गया है। इस परिभाषा में वर्णित कोई अपराध का मुकदमा न तो गैरसायल के खिलाफ चला और न हीं उसे कभी सजायाब किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो गैरसायल को धारा 2 बी के तहत गुण्डा ठहराती हो। इस सम्बन्ध में–1984 एल.आर. (राज0) 206, 1996–97 सी.आर.एस. 216, 2980 एल.आर.डब्ल्यू. पेज 6, 1995 राज0 492, 1996(1) आर.सी.डी. (राज0) 147 के विधि दृष्टान्त है। उक्त कार्यवाही में न तो कोई गवाहान का विवरण है, न उनके कथन है अतः यह कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। नोटिस में जिन मुकदमा का विवरण दिया गया है, वह अपूर्ण है उनकी कोई प्रति एवं फैसला न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, न कथित प्रकरणों के तथ्यों का विवरण दिया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक कुल 02 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। उक्त समस्त प्रकरणो में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि राधेश्याम पुत्र श्री धन्नालाल यादव निवासी करनाहेडा जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल राधेश्याम पुत्र श्री धन्नालाल यादव निवासी करनाहेडा जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅं तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, सदर बारां से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल राधेश्याम पुत्र श्री धन्नालाल यादव निवासी करनाहेडा जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र सदर बारां से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, किशनगंज जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 19.07.2025 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सदर बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ